

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

35



III | निगरानी | सीधी | 28/6/17 | 1794

कृष्ण मुरारी गुप्ता तनय स्व. शारदा प्रसाद गुप्ता उम्र-55 वर्ष, पेशा-खेती,

श्री. मुकुंदशर्मा गुप्ता द्वारा आज दि. 16-6-17 को प्रस्तुत

निवासी ग्राम-उत्तर करौंदिया सीधी तहसील-गोपदबनास जिला-सीधी (म0प्र0)

-----निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

क्लर्क ऑफ क. म. प्र. ग्वालियर
मुकुंदशर्मा गुप्ता
16-6-17 (39) को
जायगीर

1. कृष्णगोपाल तनय शारदा प्रसाद उम्र-50 वर्ष, पेशा-दुकानदारी
2. कुष्णविहारी गुप्ता शारदा प्रसाद गुप्ता उम्र-62 वर्ष, पेशा-सेवानिवृत्त कर्मचारी
3. श्रीमती सुधा गुप्ता पुत्री शारदा प्रसाद गुप्ता उम्र-48 वर्ष, पेशा-गृहकार्य निवासी ग्राम-उत्तर करौंदिया गंगा फ्यूल्स के बगल में सीधी तहसील-गोपदबनास जिला-सीधी (म0प्र0)
4. म0प्र0 शासन

-----गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण
निगरानी विरुद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोपदबनास
जिला- सीधी (म0प्र0) अपील प्र0 क्रमांक-75/
अपील/2015-16 आदेश दिनांक-06.05.2017
जिसके द्वारा नितांत अवैधानिक तरीके से
निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत
धारा-111 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959
निरस्त किया गया है।
निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता 1959

28/6/17

[Handwritten signature]

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/मि.ग./सीधी/भू.सं./१०७/१९५

जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....६१०..... गोपबन्धु के प्रकरण क्रमांक१६/३५१६/१६-१६... में पारित आदेश दिनांक ६-६-१७... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलकत्ता सीधी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक १६-१०-१९ को कलकत्ता सीधी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	